

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती बीसी बनाम श्रीमती गंगा (वर्ग 1)

किस्म मुकदमा प्रॉ.पं. 111-128 नं. 119 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 20-6-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p>	
20-6-23	<p>पत्रावली महंगाई शहत कम्पेप प्रशासन गाँवों के क्षेत्र अभियान 2023 ग्राम पंचायत लेसवा में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हुक्म से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार लेकर अन्तर से कम हो।</p> <p>हुक्मीचन्द रोहिलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 119/23 प्राणग

1- श्रीमती वीसी पी० रामेश्वरकुमार निवासी-गाण्डल तहसील-गाण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती गंगा पी० कल्याणकुमार निवासी-गाण्डल तहसील-गाण्डल (कौसा)
(संबन्धित प्राणग संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20-6-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 9123/1 कुल किता 01 रकबा 0.0885 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनः पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-06-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 9123/1 कुल किता 01 रकबा 0.0885 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023